

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर, 492002

क्रमांक एफ 12-23/2013/नौ/55-दो
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक

आदेश क्रमांक 396/SCIC/15
दिनांक 14/07/2015

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
रायपुर, छ.ग.

विषय :- सिकलसेल इंस्टीट्यूट हेतु वरिष्ठ/सीनियर मेडिकल सोशल वर्कर के पद का सृजन बाबत।

संदर्भ :- डायरेक्टर जनरल, सिकलसेल इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव क्रमांक-122/SCIC, दिनांक 04.03.2015.

--00--

राज्य शासन, एतद्वारा, सिकलसेल इंस्टीट्यूट, रायपुर हेतु वरिष्ठ/सीनियर मेडिकल सोशल वर्कर के 01 पद वेतनमान 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त पद के सृजन पर होने वाला व्यय मांग संख्या-79-मुख्य शीर्ष-2210-उप मुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-लघु शीर्ष-105-एलोपैथी-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-योजना क्रमांक-8897-सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना-14-सहायक अनुदान-001-स्थापना अनुदान के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक-2015-53-00476/ब-3/चार, दिनांक 18.06.2015 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील विजयवर्गीय)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नया रायपुर, दिनांक

30 JUN 2015

पु0क्रमांक एफ 12-23/2013/नौ/55-दो
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर, छ.ग.।
4. डायरेक्टर जनरल, सिकलसेल इंस्टीट्यूट, रायपुर, छ.ग.।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, रायपुर, छ.ग.।
6. स्थापना पटल।
7. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग